न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या–40/2016

1. श्री विनोद लखीसरानी पुत्र रामचन्द जाति सिंधी निवासी गुलाब गैस ऐजेन्सी के सामने राजीव कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर।
2. श्री चन्दर लखीसरानी पुत्र रामचन्द जाति सिंधी निवासी गुलाब गैस ऐजेन्सी के सामने, राजीव कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर।
3. श्री अनिल गंगवाल पुत्र पदमचन्द गंगवाल जाति जैन निवासी 357/12, राजेन्द्रपुरा , हाथीभाटा अजमेर।
4. श्री दिलीप मकवाना पुत्र कांतिलाल जाति गुजराती निवासी 259, ज्ञान विहार कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर।
5. श्री मनोहर वासवानी पुत्र हरूमल वासवानी जाति सिंधी निवासी म0न0 370/उपवन 20, झूला मोहल्ला खारी कुंई अजमेर।
6. श्रीमती मोनिका वासवानी पत्नि मनोहर वासवानी जाति सिंधी निवासी म0न0 370/उपवन 20, झूला मोहल्ला खारी कुंई अजमेर। .....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला–अजमेर। ..... **अप्रार्थी**

नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर अजमेर दिनांक 19.4.2018 अन्तर्गत प्रकरण सं0 74/16

उपस्थितः– 1. श्री शिवप्रकाश चौधरी — अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक – 27.06..2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम माकंडवाली तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी खाता संख्या 844 (नया) व 747 (पुराना) के ख0न0 2505 रकबा 0.2100 हैक्टयर, 2506 रकबा 0.1600, 2761 रकबा 0.2100 व खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर के 1/2 हिस्से के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है। उपरोक्त खसरान के साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 बीघा एवं 210 रकबा 2–05–10 बीघा थे। साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 बीघा किस्म बारानी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नं0 2761 रकबा 0.21 व 2762 मी रकबा 0.07 हैक्टर बनाये गये। आधार जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खसरा नं0 2761 रकबा 0.2100 व 2762 मी रकबा 0.2400 हैक्टर दर्ज करते हुए खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर की किस्म गै0मु0नाला दर्ज की गई प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम माकडवाली के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2069–2072 की खाता संख्या नया 844, पुराना 747 के खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर गैर मु0 नाला को दुरूस्त किया जाकर बारानी 2 अंकित किये जाने के आदेश बाबत प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो बाद

न्यायालय जिला कलक्टर अ ज मे र

जिला कलक्टर
अजमेर

सुनवाई आदेश दिनांक 19.04.2018 से तकनीकी आधार पर चलने योग्य नहीं होने कारण खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अजमेर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी खाता संख्या 844 (नया) व 747 (पुराना) के ख0न0 2505 रकबा 0.2100 हैक्टयर, 2506 रकबा 0.1600, 2761 रकबा 0.2100 व खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर के 1/2 हिस्से के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है। उपरोक्त खसरान के साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 बीघा एवं 210 रकबा 2–05–10 बीघा थे। साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 बीघा किस्म बारानी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नं0 2761 रकबा 0.21 व 2762 मी रकबा 0.07 हैक्टर कायम किये गये। आधार जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खसरा नं0 2761 रकबा 0.2100 व 2762 मी रकबा 0.2400 हैक्टर दर्ज करते हुए खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर की किस्म गै0मु0नाला दर्ज कर दी गई जबकि उक्त खसरान के साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 की किस्म बारानी दर्ज थी। प्रश्नगत खसरान की भूमि की मौके पर भौतिक सरचना भी नाला नहीं है, एवं ना ही मौके पर नाला है। मौके पर भूमि समतल है। इसके बावजूद भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही दौरान बिना मौके की जांच किये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खसरा नं0 2762 की किस्म नाला दर्ज कर दी गई। श्रीमान् के द्वारा तहसीलदार से टीम गठित कर वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भी मौके पर नाला नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके बावजूद प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 19.4.2018 द्वारा तकनीकी आधार पर चलने योग्य नहीं होना मानते हुए खारिज किया गया । पारित आक्षेपित आदेश नयाय नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्त है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा मौके की भौतिक रिपोर्ट जिसमें स्पष्ट अंकित था कि मौके पर कोई नाला नहीं है को नजरअंदाज करते हुए किस्म को दुरूस्त करने हेतु स्वयं सक्षम होते हुए भी उपरोक्त दिखती हुई त्रूटि कारित की है। प्रार्थीगण का मामला मिट्टी वर्गीकरण का है इसलिए नियमानुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 150 के तहत दुरूस्ती योग्य है। अतः प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर का आक्षेपित आदेश दिनांक 19.4.2018 निरस्त फरमाया जाकर बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध रूप से दर्ज की गई ग्राम माकडवाली के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2069–2072 की खाता संख्या नया 844, पुराना 747 के खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर गैर मु0 नाला को दुरूस्त किया जाकर पुर्ववत दर्ज किस्म बारानी 2 अंकित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 150, मिट्टी का वर्गीकरण बाबत है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत गलतियों का

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

शुद्धिकरण हेतु सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर है। लिहाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायेचित है।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं प्रार्थना पत्र के कथनो का ध्यान पूर्वक मनन किया एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 150 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम में दिनांक 19.4.2018 को पारित निर्णय जिसमें स्पष्ट उल्लेखित किया गया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 150, "मिट्टी का वर्गीकरण बाबत है जिसमें बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा धारा 149 के तहत बनाये गये प्रत्येक निर्धारण वृत या निर्धारण समूहों के गांवों का एतदर्थ बनाये गये नियमों से विभिन्न मिट्टी वर्गो में विभाजित भी करेगा।" उल्लेखित है। राजस्व रिकार्ड/अधिकार अभिलेख में गलतियों का शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त नियम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तकनीकी आधार पर चलने योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। उक्त आदेश के पुनर्विलोकन के लिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत प्रश्नगत आराजी की किस्म दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है। पुर्नविलोकन का क्षेत्र अधिकार सीमित होता है जिसमें अभिलेख स्तर की कारित विधिक त्रूटि पर विचार करने का प्रावधान है। नजरसानी के माध्यम से प्रार्थी प्रकरण की पुनः सुनवाई नहीं करा सकता है, समीक्षा अधिकारिता अपील के वेश में नहीं हो सकती। कानून का गलत अर्थ लगाकर रिव्यू नहीं की जा सकती। अतः पर्याप्त आधार नहीं होने से नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.06..2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर